राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1105
उत्तर देने की तारीखः 28.07.2021

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार

1105. डॉ. एल. हनुमंतय्याः
डॉ. अमी याज्ञिकः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान विशेष रूप से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति दर्ज किए गए अत्याचारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) अत्याचार के इन मामलों के विरुद्ध दोषसिद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसे मामलों में पीड़ित के परिवारों को राज्य द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय अथवा कानूनी सहायता प्रदान की गई है;
(घ) क्या विगत दो वर्षों के दौरान इन मामलों में तीव्र वृद्धि हुई है; और
(ड़) यदि हां, तो सरकार द्वारा मामलों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): वर्ष 2015 से 2019 के दौरान एससी/एसटी के विरुद्ध अत्याचार और दोषसिद्धि का कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार) क्रमशः **अनुबंध क एवं ख** में दिया गया है।

(ग): यह मंत्रालय सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करता है :

(i) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षण प्रकोष्ठ तथा विशेष पुलिस थानों का संचालन तथा सुदृढ़ीकरण।
(ii) अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा संचालन।
(iii) अत्याचार के पीड़ितों के लिए राहत तथा पुनर्वास।
(iv) अंतर-जातीय विवाहों, जिनमें युगल में से एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य हो, के लिए प्रोत्साहन।
(v) जागरूकता सृजन।

वर्ष 2015 से 2019 के दौरान, उपलब्ध कराई गई राहत/कानूनी सहायता प्राप्त पीड़ितों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-ग** में दिया गया है।

(घ) और (ड.): जी, नहीं। वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में लगभग 11.15% अत्याचार के मामले कम हुए हैं परंतु वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 11.46% वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (पीओए अधिनियम) को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2015 में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों में नए अपराधों, उपधारणाओं का विस्तारित क्षेत्र, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा पीओए अधिनियम के तहत अपराधों के अनन्य विचारण के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजक के विनिर्देशन, ताकि मामलों का शीघ्र निपटान हो सके, विशेष न्यायालयों तथा अनन्य विशेष न्यायालयों को अधिकार प्रदान करना ताकि अपराधों का सीधा संज्ञान लिया जा सके और जहां तक संभव हो, आरोप-पत्र दायर होने की तारीख से दो माह के भीतर विचारण पूरा करना, पीड़ितों तथा गवाहों के अधिकार स्थापित करना तथा निवारक उपायों को और अधिक सुदृढ़ करना शामिल है। इसके अलावा, पीओए अधिनियम की धारा 18 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 की संख्या 27) द्वारा संशोधन किया गया था तथा इसे दिनांक 20.08.2018 को प्रवृत्त किया गया था तथा अब प्राथमिकी दायर करने से पहले प्राथमिक जांच करने अथवा अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले किसी प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

सरकार अत्याचार के मामलों के शीघ्र पंजीकरण, अपराधों की शीघ्र जांच करने तथा न्यायालयों द्वारा समय पर मुकद्दमों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ समीक्षा कर रही है।

इसके अलावा, भारत सरकार पीओए अधिनियम तथा नियमों के कारगर कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर एडवाइजरी जारी करती है।

दिनांक 28.07.2021 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1105 का अनुबंध-क

वर्ष 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 के दौरान आईपीसी के संयोजन सहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पंजीकृत मामलों की संख्या का ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईपीसी के संयोजन सहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पंजीकृत मामले														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	2263	362	2625	2335	405	2740	1969	341	2310	1632	303	1935	1892	312	2204
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
3.	असम	5	0	5	4	1	5	10	65	75	0	3	3	17	1	18
4.	बिहार	6293	5	6298	5701	25	5726	6747	80	6827	6863	64	6927	6540	97	6637
5.	छत्तीसगढ	216	373	589	243	402	645	283	399	682	264	386	650	339	427	766
6.	गोवा	13	8	21	10	11	21	10	2	12	4	3	7	3	1	4
7.	गुजरात	1009	248	1257	1321	281	1602	1477	319	1796	1321	299	1620	1295	310	1605
8.	हरियाणा	510	0	510	639	0	639	760	0	760	912	0	912	1034	1	1035
9.	हिमाचल प्रदेश	91	6	97	115	2	117	108	3	111	34	0	34	30	0	30
10.	झारखंड	736	266	1002	525	280	805	541	237	778	215	81	296	324	136	460
11.	कर्नाटक	1841	386	2227	1866	371	2237	1869	401	2270	1226	302	1528	1417	316	1733
12.	केरल	695	165	860	810	182	992	915	144	1059	783	126	909	776	128	904
13.	मध्य प्रदेश	3546	1358	4904	4922	1823	6745	5892	2289	8181	4741	1867	6608	5299	1920	7219
14.	महाराष्ट्र	1795	481	2276	1736	403	2139	1688	464	2152	1807	507	2314	1932	506	2438
15.	मणिपुर	0	0	0	2	1	3	0	1	1	0	1	1	0	2	2
16.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
18.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	उड़ीसा	1821	691	2512	1796	681	2477	1969	700	2669	1747	552	2299	1845	576	2421
20.	पंजाब	147	0	147	132	2	134	118	0	118	136	0	136	130	1	131
21.	राजस्थान	5911	1409	7320	5134	1195	6329	4238	984	5222	4490	1073	5563	6659	1759	8418
22.	सिक्किम	3	0	3	1	0	1	5	6	11	2	1	3	2	2	4
23.	तमिलनाडु	1735	25	1760	1287	19	1306	1361	22	1383	1331	13	1344	1060	28	1088
24.	तेलंगाना	1292	386	1678	1529	375	1904	1465	435	1900	1337	383	1720	1545	494	2039
25.	त्रिपुरा	1	3	4	0	3	3	1	1	2	1	0	1	0	0	0

26.	उत्तर प्रदेश	8357	6	8363	10426	4	10430	11232	88	11320	9327	131	9458	9451	705	10156
27.	उत्तराखंड	80	6	86	65	3	68	96	11	107	42	7	49	59	8	67
28.	पश्चिम बंगाल	150	84	234	119	83	202	138	122	260	100	76	176	100	76	176
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	3	3	0	6	6	0	2	2	0	0	0	0	1	1
30.	चंडीगढ़	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
31.	दादरा और नागर हवेली	0	3	3	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	49	0	49	53	2	55	48	4	52	11	0	11	43	0	43
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	2	0	2	2	1	3	26	0	26	0	0	0	0	0	0
36.	जम्मू और कश्मीर	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	0	0	0	0	0	0
	कुल	**38564**	**6275**	**44839**	**40774**	**6564**	**47338**	**42969**	**7125**	**50094**	**38327**	**6178**	**44505**	**41793**	**7815**	**49608**

नोट:- (i) एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 का दिनांक 31.10.2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य में विस्तारित किया गया है। एनसीआरबी, एमएचए द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतन आंकड़े वर्ष 2019 से संबंधित हैं।

स्रोत: - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय।

दिनांक 28.07.2021 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1105 का अनुबंध-ख

वर्ष 2015-19 के दौरान अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के खिलाफ कुल अपराधों के अंतर्गत दोषसिद्धि के मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015		2016		2017		2018		2019	
		दोषसिद्धि (एससी)	दोषसिद्धि (एसटी)	दोषसिद्धि (एससी)	दोषसिद्धि (एसटी)	दोषसिद्धि (एससी)	दोषसिद्धि (एसटी)	दोषसिद्धि (एससी)	दोषसिद्धि (एसटी)	दोषसिद्धि (एससी)	दोषसिद्धि (एसटी)
1	आंध्र प्रदेश	32	3	31	2	48	2	47	11	38	2
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	118	2	204	5	101	1	44	0	44	2
5	छत्तीसगढ	62	120	56	78	72	100	50	41	47	39
6	गोवा	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0
7	गुजरात	11	3	22	1	12	4	14	1	7	5
8	हरियाणा	35	0	39	0	46	0	54	0	64	0
9	हिमाचल प्रदेश	2	0	1	0	4	0	2	0	6	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	40	25	87	34	19	25	29	3	17	10
12	कर्नाटक	23	5	22	0	21	4	45	2	26	3
13	केरल	11	2	13	4	11	3	22	6	14	2
14	मध्य प्रदेश	721	281	886	273	1055	399	754	287	964	414
15	महाराष्ट्र	64	25	106	21	79	15	79	23	75	30
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	उड़ीसा	55	32	34	18	8	0	8	3	2	0
21	पंजाब	11	0	16	0	7	0	6	0	5	0
22	राजस्थान	755	161	541	139	1673	172	597	115	927	194
23	सिक्किम	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1
24	तमिलनाडु	56	0	76	1	97	2	99	0	89	6
25	तेलंगाना	71	16	24	12	38	7	31	6	43	31
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	2033	7	1570	12	1512	2	1551	1	1619	1
28	उत्तराखंड	19	1	24	0	6	2	0	1	17	1

29	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	कुल राज्य	**4121**	**683**	**3753**	**602**	**4811**	**741**	**3433**	**503**	**4004**	**742**
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
32	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल केंद्र शासित प्रदेश (एस)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**
	कुल (अखिल भारत)	**4122**	**683**	**3753**	**602**	**4811**	**744**	**3433**	**503**	**4007**	**742**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: वर्ष 2019 के लिए पश्चिम बंगाल से समय पर डाटा प्राप्त न होने के कारण, वर्ष 2018 के लिए प्रस्तुत डाटा का उपयोग किया गया है।

दिनांक 28.07.2021 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1105 का अनुबंध-ग

क्र.सं.	राज्यसंघ/ राज्य क्षेत्र	राहत प्रदत अत्याचार पीड़ितों की संख्या				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	आंध्र प्रदेश	4208	5408	5408	10995	10995
2.	असम	एनए	एनए	एनए	0	0
3.	बिहार	3209	2342	2342	3266	3266
4.	छत्तीसगढ	531	492	883	773	940
5.	गोवा	एनए	एनए	0	0	0
6.	गुजरात	1549	2070	2287	1741	1930
7.	हरियाणा	379	487	626	1003	963
8.	हिमाचल प्रदेश	47	58	173	278	309
9.	झारखंड	एनए	117	595	556	604
10.	कर्नाटक	1050	1912	2277	2128	2745
11.	केरल	333	372	600	1106	863
12.	मध्य प्रदेश	5002	6303	8872	6338	6338
13.	महाराष्ट्र	1013	1440	1808	2184	2199
14.	उड़ीसा	1188	2108	1385	1796	2902
15.	पंजाब	26	एनए	एनए	0	एनए
16.	राजस्थान	1887	1729	3648	3727	9158
17.	सिक्किम	एनए	एनए	एनए	0	0
18.	तमिलनाडु	1329	2216	2067	1580	2530
19.	तेलंगाना	111	1007	1007	4976	3240
20.	त्रिपुरा	एनए	एनए	1	1	10
21.	उत्तर प्रदेश	9291	11369	16507	16507	23866
22.	उत्तराखंड	62	5	105	142	274
23.	पश्चिम बंगाल	63	61	61	108	118
24.	चंडीगढ़	एनए	एनए	0	0	0
25.	दादरा और नागर हवेली	एनए	एनए	एनए	0	एनए
26	दमन और दीव	एनए	एनए	एनए	0	एनए
27.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	21	18	22	11	26
28.	पुडुचेरी	एनए	एनए	0	0	46
	कुल	**31299**	**39514**	**50674**	**59216**	**73322**

नोट- (i) एनए=अनुपलब्ध।

(ii) इस स्कीम का उद्देश्य पीसीआर अधिनियम और पीओए अधिनियम का कारगर रूप से कार्यान्वयन करना है। राहत प्राप्त अत्याचार पीड़ितों/उनके आश्रितों की संख्या उपर्युक्त तारीका में दी गई है।

*****